GCMS- 2024/13

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

औंकार पुत्र फूसाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

किस्म मुकदमाः—अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण सं.—12 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.09.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अपीलांट औंकार पुत्र फूसाराम जाति जोतकी का देहांत हो चुका है। कानूनन वकालतनामा मृतक की अंतिम सांस के समय समाप्त हो चुका है इसलिए वकील अपीलांट प्रकरण में पैरवी नहीं कर सकते है। अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाई की जानी उचित है। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुझ अधिवक्ता को अपीलांट का देहांत होने की अभी तक जानकारी नहीं है, अतः उक्त प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र व कायम मुकाम स्थापित करने हेतु आगामी तारीख पेशी प्रदान की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में पेश नहीं हुआ है। अतः न्यायहित में हम अपीलांट का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान की सूची मंगवाना उचित समझते है। अतः वकील अपीलांट आगामी तारीख पेशी पर उक्तानुसार अपीलांट का मृत्य प्रमाण पत्र व वारिसान की सूची पेश करे। पत्रावली दिनांक 18.09.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	
18-9-24	पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पो० क्र० 2 व 3 हाजिर। वकील अपीलांट हाजिर नहीं। वकील अपीलांट को बार-बार आवाजें लगाई गई। परन्तु वकील अपीलांट हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजिरी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner